



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अररा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वियरमेन्टल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम 96327/2020

सदस्य सचिव

वैधानिक शास्त्रकार विवेकाश 05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsnch17@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रतिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

दैनिक भास्कर, भोपाल
05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016
फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742
E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020 भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

हैमिष्ठाभास्कर, ईदौर

05/04/2020

दैनिक भास्कर अनाधिकार



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 05/01/2020

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक-1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(iii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करने पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेंसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016
फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsm117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्य प्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs. with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर निम्नानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरूपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

ईदिक आस्कर, रतलाम
05/04/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अररा-कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक. 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अधवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित करावे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर बसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

दैनिक भास्कर सागर

05/04/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विन्सु यूनिन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायमेंटल कंपनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

वैधानिक आदेश 05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अध्या निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिराशित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम 96327/2020

सदस्य सचिव

हैनिकभास्कर, सिंगरौली

05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

दैनिक भास्कर, सतना 05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs. with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेंसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

दैनिक भास्कर जबलपुर 05/01/2020

जयपुर से आई व्यासपीठ साक्षात मायरा भरने की कथा होम
पत्रिका, ग्वालियर 05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू
जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार
संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर निम्नानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsm117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पत्रिका जबलपुर 05/04/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनिन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पत्रिका ईदोर 05/01/2020

अभिजात बनजी ने आगामी बजट में यह बात एक कार्यक्रम में कही।



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अधिकाधिक मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करने पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पुनः 05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016
फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742
E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जानी है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेंसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

दैनिक जागरण, भोपाल

05/04/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित करावे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम 96327/2020

सदस्य सचिव

पीपुल्स समाचार जबलपुर

05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428; 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsm117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेनसेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पीपुल्स समाचार, बवालियर

05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016

फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742

E-mail : hsmid117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020 - - भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनिन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करने पाये जाने पर नियमानुसार इन्वियरमेन्टल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पीपुल्स समन्वार, इंदौर

05/01/2020



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016
फोन नं. : (0755) 2464428, 2466191, Fax : 0755-2463742
E-mail : hsm117@gmail.com

क्रमांक 1033/प्रनिबो/ज.स./2020

भोपाल, दिनांक 02.01.2020

वैधानिक सूचना

मध्यप्रदेश स्थित समस्त दूषितजल उपचार संयंत्र (ईटीपी)/घरेलू जल-मल उपचार संयंत्र (एसटीपी)/संयुक्त दूषितजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) सर्वसंबंधितों को वैधानिक सूचना .

1. इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के अधिष्ठाता/ऑपरेटर आदि सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 593/2017 (पर्यावरण सुरक्षा समिति विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में पारित आदेश दि. 28.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 21(ii) के अनुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

"SPCBs/PCCs may ensure remedial action against non-compliant CETPs or individual industries in terms of not having ETPs/fully compliant ETPs or operating without consent or in violation of consent conditions. This may be overseen by the CPCB. CPCB may continue to compile information on this subject and furnish quarterly reports to this Tribunal which may also be uploaded on its website."

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समस्त उद्योगों/संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार माननीय अधिकरण के निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करें अन्यथा बिना इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी), कॉमन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) अथवा उचित इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट न होने पर अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालन करने पर बोर्ड द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/08/2019 के बिन्दु क्रमांक 21 (iii) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"All the Local Bodies and or the concerned departments of the State Government have to ensure 100% treatment of the generated sewage and in default to pay compensation which is to be recovered by the States/UTs, with effect from 01/04/2020. In default of such collection, the States/UTs are liable to pay such compensation. The CPCB is to collect the same and utilize for restoration of the environment."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के पालन हेतु प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा सीवेज का 100 प्रतिशत उपचार दिनांक 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है।

3. पुनः माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के बिन्दु क्रमांक 47 (i) के अनुसार समस्त नगरीय निकायों को निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन की कार्यवाही की जाना है :-

"100% treatment of sewage may be ensured as directed by this Tribunal vide order dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 by 31.03.2020 atleast to the extent of in-situ remediation and before the said date, commencement of setting up of STPs and the work of connecting all the drains and other sources of generation of sewage to the STPs must be ensured. If this is not done, the local bodies and the concerned departments of the States/UTs will be liable to pay compensation as already directed vide order dated 22.08.2019 in the case of river Ganga i.e. Rs. 5 lakhs per month per drain, for default in in-situ remediation and Rs. 5 lakhs per STP for default in commencement of setting up of the STP."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने या उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार इन्वायरमेंटल कम्पेन्सेशन (Environmental Compensation) अधिरोपित कर वसूली की जावेगी।

म.प्र. माध्यम/96327/2020

सदस्य सचिव

पीपुल्स समाचार

भोपाल 05/01/2020